



कार्यालय मुख्य वनसंरक्षक बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर (छ.ग.)

सिंधी कॉलोनी, जरहामाठा, बिलासपुर (छ.ग.) पिन कोड-495001
फ़ोन : 07752-227624, फ़ैक्स : 07752-221385 E-mail : ccf.bilaspur-cg@gov.in

क्रमांक/तक/ 26/5

प्रति,

बिलासपुर, दिनांक 04-11-19

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक
(भू-प्रबंध)
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

विषय :-

Constructio of "765 KV/D/C Dharamjaigarh pool Section B- Raigarh (Tannar) pool Transmission line" awarded through Tariff Based Competitive Bidding (TBCB) rout to Goa Tannar Transmission Project Limited (GTPL)- Regarding Delay in getting forest clearance for Diversion of 137.014 ha. Of forest land in Chhattisgarh State.

पंजीयन क्रमांक- FP/CG/TRNS/35105/2018

संदर्भ :-1. आपका पत्र क्र./ भू-प्रबंध/विद्युत/ एल.एम.- 479- 173/1902 दिनांक 31.07.2019

2. वनण्डलाधिकारी धरमजयगढ़ का पत्र क्रमांक/तक.अधि./1233 दिनांक 23.10.2019

—0—

विषयान्तर्गत प्रतिवेदन है कि आवेदक संस्थान गोवा तमनार ट्रॉशमिशन प्रोजेक्ट लिमि.के 765 के.व्ही. डबल सर्किट धरमजयगढ़-रायगढ़ (तमनार) पूल विद्युत पारेषण लाईन हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य रकबा 137.014 हे. के प्रकरण में 27 बिन्दुओं के चेकलिस्ट एवं वांछित 03 बिन्दुओं की

जानकारी निम्नानुसार प्रस्तुत है -

क्र.	विवरण	प्रतिवेदन
1	कोरबा वन मण्डल द्वारा वेब अपलोड किये गये प्रस्तावित वैकल्पिक वृक्षारोपण क्षेत्र खसरा नम्बर 44/1 रकबा 20.00 हे. खसरा नम्बर 941/1 रकबा 10.00 हे. एवं संरक्षित वन कक्ष क्रमांक पी.एफ. - 99 रकबा 10.00 हे. का के.एम.एल. फाईल नहीं खुल रही है। पुनः सही के.एम.एल. फाईल अपलोड करें। के.एम. एल. फाईल सी.डी. में खुल रही है परन्तु वेब पर नहीं खुल रही है।	वन मण्डलाधिकारी कोरबा द्वारा के.एम.एल. फाईल वेब पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।
2.	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु चयनित संरक्षित वन कक्ष क्रमांक पी.एफ. -97 में पूर्व में वृक्षारोपण होना प्रतीत हो रहा है। वन मण्डलाधिकारी जांजगीर चाम्पा स्वयं के स्थल निरीक्षण के उपरान्त वृक्षारोपण हेतु स्थल की उपयुक्तता प्रमाण पत्र देवें।	वन मण्डलाधिकारी जांजगीर चाम्पा द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु पूर्व प्रस्तावित कक्ष क्रमांक पी.एफ. 97 के स्थान पर क्षेत्र परिवर्तित कर कक्ष क्रमांक आरएफ 87 में वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना प्रस्तावित कर प्राक्कलन तैयार कर प्रस्तावित क्षेत्र के उपयुक्तता प्रमाण पत्र एवं वृक्षारोपण क्षेत्र परिवर्तन प्रमाण पत्र सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संलग्न है।

3.	कोरबा वन मण्डल द्वारा वन मण्डलाधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्रपत्र - ।।।। वेब पर अपलोड नहीं किया गया है। अतिरिक्त जानकारी में अपलोड करें।	वन मण्डलाधिकारी कोरबा द्वारा वन मण्डलाधिकारी कोरबा का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्रपत्र-।।।। अतिरिक्त जानकारी में अपलोड कर दिया गया है। संलग्न है।
----	---	--

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

मुख्य वनसंरक्षक
बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर
बिलासपुर/दिनांक - 04-11-19

क्रमांक/तक/26/6

प्रतिलिपि :-

1. वनमण्डलाधिकारी, धरमयजगढ़ / कोरबा / जांजगीर-चाम्पा की ओर सूचनार्थ।
2. उप प्रबंधक, गोवा तमनार ट्रांशमिशन प्रोजेक्ट लिमि.पं. रविशंकर शुक्ल नगर कोरबा (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।

मुख्य वनसंरक्षक
बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर

वन संरक्षण अधिनियम - 1980 अंतर्गत केन्द्र सरकार से प्रथम चरण की स्वीकृति लेने बाबत प्रस्ताव के साथ वांछित दस्तावेजों का विवरण (चेक लिस्ट)

क्रं.	जानकारी का ब्यौरा	संक्षिप्त विवरण	पृ. क्रं.
1.	आवेदक संस्थान का नाम	गोवा तमनार ट्रांशमिशन प्रोजेक्ट लिमि. पं.	-
2.	आवेदक संस्थान का स्वरूप (Nature)	निजी संस्थान	-
3.	आवेदक संस्थान का मांग पत्र	संलग्न	1-27
4.	प्रपत्र-1 में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक)	FP/CG/TRANS/35105/2018	29-31
5.	स्थान :- (1) राज्य (2) जिला	छत्तीसगढ़	-
	वनो का ब्यौरा: (1) प्रभावित वन मंडल का नाम (2) प्रभावित वन का क्षेत्रफल (अ) आरक्षित वन क्षेत्र - (ब) संरक्षित वन क्षेत्र - (स) नारंगी वन क्षेत्र - (द) राजस्व वन क्षेत्र - योग -	रायगढ़ एवं कोरबा धरमजयगढ़, कोरबा एवं रायगढ़ 20.959 हे. 39.838 हे. 14.848 हे. 61.369 हे. <u>137.014 हे.</u>	- 32-53
6.	(3) नक्शे	1. डी.जी.पी.एस नक्शा (जियो रिफरेंस मैप) 2. इन्डेक्स मैप 1:15000/SOI टोपोग्रीट 1:50000 के स्केल पर 3. परियोजना का ले आउट नक्शा 4. संरक्षित क्षेत्र दर्शाते हुए 10 कि.मी रेडियस का नक्शा 5. अन्य (कृपया उल्लेख करें) (Eco Class Map, Vegetation Map, Stock Map, Elephant Movement Map) राजस्व नक्शा	1257-1383 66-69/ 60-65 1474-1536
7.	आनलाईन जमा किये गये प्रस्तावों का विवरण (1) क्या नोडल कार्यालय को आनलाईन प्रस्तुत एवं अप्रोषित किया गया है? (2) क्या पूर्ण फार्म-ए आनलाईन अपलोड किया गया है? (3) क्या व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र व्यपवर्तन एवं वैकल्पिक वृक्षारोपण के लिए चिह्नांकित क्षेत्रों के के.एम.एल/शेप फाईल को वेबसाईट पर अपलोड किया है ?	वनभूमि व्यपवर्तन प्रस्ताव नोडल कार्यालय को ऑनलाईन प्रेषित किया गया है। फार्म-ए आनलाईन अपलोड किया गया है। वैकल्पिक वृक्षारोपण के लिए चिह्नांकित क्षेत्रों के के.एम.एल/शेप फाईल को अपलोड किया है।	19-26 -

	4. वृक्षों की संख्या अर्थात् पुराने वृक्ष (आम, बरगद, फाइकस इत्यादि) जो विशेष रूप से सड़क चौड़ीकरण के दौरान संरक्षित रखे जा सकें	लागू नहीं है।	
	वन्य प्राणी	-	-
	1. क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य प्राणी अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, टायगर रिजर्व, एलीफेंट कारीडोर इत्यादि का भाग है (यदि हां तो क्षेत्र का विवरण)	नहीं	-
	2. संबंधित वन मंडलाधिकारी का परियोजना स्थल को संरक्षित क्षेत्र से बाहर दर्शाने हेतु प्रमाण पत्र	संबंधित वनमण्डलाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है।	1389-1391
	3. क्या क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र की सीमा के 10 कि.मी की दूरी के अंदर स्थित है?	नहीं	-
	4. क्या भारत शासन ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 अंतर्गत Eco-sensitive Zone को अधिसूचित किया है?	लागू नहीं	-
	5. क्या वनस्पति एवं जीव की कोई दुर्लभ प्रजाति उस क्षेत्र में पाई जाती है, अगर हां तो उसका विवरण?	लागू नहीं	-
	6. वन्यप्राणी अधिनियम, 1972 के अनुसूची-1 की प्रजातियों का विवरण, अगर कोई हो तो	अनुसूची-1 की प्रजातियों का विवरण संलग्न है।	89-93
	7. मुख्य वन्य प्राणी संरक्षक की टिप्पणी	नहीं	-
	8. संबंधित वन मंडलाधिकारी का परियोजना स्थल को संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 10 कि.मी. की दूरी से बाहर/अंदर दर्शाने हेतु प्रमाण पत्र	संबंधित वनमण्डलाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है।	1389-1391
	1. क्या कोई संरक्षित पुरातात्विक / धरोहर स्थल (Heritage)/रक्षा संस्थान (Establishment) या कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक उस क्षेत्र में स्थित है?	व.म.अ. का प्रमाण पत्र संलग्न है।	1365-1367
13.	2. संबंधित वन मंडलाधिकारी का संरक्षित पुरातात्विक/धरोहर स्थल (Heritage)/रक्षा संस्थान (Establishment) इत्यादि की क्षेत्र में न होने संबंधी प्रमाण पत्र	व.म.अ. का प्रमाण पत्र संलग्न है।	
	1. क्या वन संरक्षण अधिनियम या भारतीय वन अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हां तो उस कार्य का विवरण तथा कृत कार्य की अवधि एवं दोषी अधिकारीगण के विरुद्ध की गई कार्यवाही। क्या कार्य अभी भी प्रगति पर है?	वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।	1317-1319
14.	2. संबंधित वन मंडलाधिकारी का वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन न होने संबंधी प्रमाण पत्र	वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।	

15.	1. क्या आवेदक संस्थान द्वारा पार्ट-1 के कॉलम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अनिवार्य एवं न्यूनतम है? अगर नहीं, तो आयटमवार अनुशंसित क्षेत्र (विकल्प क्षेत्रों के विवरण की जांच सहित)	प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अनिवार्य एवं न्यूनतम है। वचनपत्र संलग्न है।	106-115
	2. संबंधित वन मंडलाधिकारी का वन भूमि की न्यूनतम आवश्यकता संबंधी प्रमाण पत्र	संबंधित वन मंडलाधिकारी का वन भूमि की न्यूनतम आवश्यकता संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न है।	106-115
16	क्या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 अंतर्गत स्वीकृति अपेक्षित है?	लागू नहीं।	-
	वैकल्पिक वृक्षारोपण	-	-
17	1. वैकल्पिक वृक्षारोपण करने हेतु चिह्नांकित भूमि की वैधानिक स्थिति	आरक्षित वनक्षेत्र, संरक्षित वनक्षेत्र, नारंगी एवं राजस्व भूमि (बिगड़े वनक्षेत्र)	-
	2. वैकल्पिक वृक्षारोपण करने हेतु चिह्नांकित गैर वन भूमि/बिगड़े वन भूमि का विवरण, लगे हुए वन से उसकी दूरी, पैच की संख्या एवं प्रत्येक पैच का आकार	संलग्न	989-992
	3. वैकल्पिक वृक्षारोपण करने हेतु चिह्नांकित गैर वन भूमि/बिगड़े वन भूमि एवं लगे हुए वन की सीमा को दर्शाने हेतु नक्शा	संलग्न	986-988 1494-1504
	4. विस्तृत वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना जिसमें रोपण की जाने वाली प्रजातियां, क्रियाचयन, समय सारणी, लागत ब्यौरा इत्यादि शामिल हो।	वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना संलग्न है।	989-1304
	5. वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु कुल वित्तीय परिव्यय (Outlay)	17,79,36,150/-	-
18.	6. वृक्षारोपण एवं प्रबंधन के नजरिये से वैकल्पिक वृक्षारोपण क्षेत्र का सक्षम अधिकारी का उपयुक्तता प्रमाण पत्र	वैकल्पिक वृक्षारोपण क्षेत्र का सक्षम अधिकारी का उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न है।	1305-1316
	7. वैकल्पिक वृक्षारोपण का व्यय वहन करने हेतु आवेदक संस्थान विभाग का वचन पत्र	वचन पत्र संलग्न	104-105
	8. गैर वन भूमि पर वैकल्पिक वृक्षारोपण के लिए अनुपलब्धता संबंधी मुख्य सचिव छ.ग. शासन का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)	वैकल्पिक वृक्षारोपण दुगने वनभूमि में प्रस्तावित है। पत्र संलग्न	1326-1330
	मा. उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र	वचन पत्र संलग्न है।	1551-1559
19.	जल ग्रहण क्षेत्र उपचार योजना (CAT)	लागू नहीं।	
	1. कुल जल ग्रहण क्षेत्र (हे.)	लागू नहीं।	
	2. कुल कल्वरल कमांड ऐरिया (हे.)	लागू नहीं।	
	3. वित्तीय प्रावधान	लागू नहीं।	

20.	अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का परिपालन	-	-
	1. क्या MoEF&CC के दिशा निर्देश दिनांक 05.07.2013 में निर्धारित प्रावधानों को जिला कलेक्टर ने प्रमाण पत्र द्वारा प्रमाणित किया है?	कलेक्टर ने प्रमाण पत्र संलग्न है।	1417 एवं 1472
	2. क्षेत्र एवं ग्राम सभा की संख्या जिसके लिए जिला कलेक्टर द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया है	ग्राम सभा की संख्या - 23	
	3. ग्राम सभा के प्रस्ताव / वन अधिकार समितियों का कार्यवाही विवरण	कार्यवाही विवरण संलग्न है।	1395-1496
	4. संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (छ.ग. शासन, वन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-5-20/2017/10-2 दिनांक 12.01.2010)	लागू नहीं	
21	5. अनुविभाग स्तरीय वनाधिकार समिति का कार्यवाही विवरण	अनुविभाग स्तरीय वनाधिकार समिति का कार्यवाही विवरण संलग्न है।	1412-1414, 1440
	6. जिला स्तरीय वनाधिकार समिति का कार्यवाही विवरण	जिला स्तरीय वनाधिकार समिति का कार्यवाही विवरण संलग्न है।	1417 एवं 1472
	परीक्षण किये गये वैकल्पिक एलाइन्मेंट का विवरण	-	-
	1. प्रस्तावित विकल्प को चयन करने का औचित्य (लीनियर प्रोजेक्ट)	संलग्न है।	106-115
	2. अन्य विकल्पों को नामंजूर करने के कारण (लीनियर प्रोजेक्ट)	संलग्न है।	
22	3. गैर वन / शासकीय गैर वन भूमि के परीक्षण का विवरण एवं प्रतिवेदन (नान लीनियर प्रोजेक्ट)	-	-
	4. परियोजना को वन क्षेत्र में चुनने की अनिवार्यता का औचित्य	वैकल्पिक एलाइन्मेंट के अनुसार न्यूनतम वनक्षेत्र प्रभावित होता है।	106-115
	5. गैर वन / राजस्व भूमि का अनुपलब्धता संबंधी प्रमाण पत्र	-	-
	परियोजना विशिष्ट (Specific) विवरण	-	-
	1. RoW मौजूदा एवं प्रस्तावित (लीनियर प्रोजेक्ट)	67 मीटर	51
	2. Horizontal एवं Vertical Cross sectional नक्शा (लीनियर प्रोजेक्ट)	संलग्न है।	-
	3. RoW में औषधीय पौधों की रोपण योजना का क्षेत्रफल एवं विवरण (ट्रांसमिशन लाईन एवं पवन ऊर्जा परियोजना हेतु)	RoW में औषधीय पौधों की रोपण योजना का क्षेत्रफल 20.450 हे.	-
	4. विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा 3 विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण (भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का पत्र क्रमांक 6-CHC 022/2010-BHO/934 दिनांक 24.05.2010)	03 विकल्प मानचित्र संलग्न है।	1581-1602

	5. जलमग्न क्षेत्र, कमाण्ड क्षेत्र, बांध की ऊंचाई, FRL, DRL इत्यादि (सिंचाई/जल विद्युत परियोजना हेतु)	लागू नहीं	-
	6. खनिज पट्टा की वैधता, पट्टा क्षेत्र (वन + गैर वन), Total proven reserve, वार्षिक निष्कर्षण (MTPA), वन स्वीकृति की शर्तों का परिपालन, खनन योजना, प्रगतिशील खदान समापन योजना (अगर पूर्व अनुमोदन प्राप्त है), रिक्लेमेशन (अगर हो तो) की स्थिति, (केवल खनिज परियोजनाओं के लिए)	लागू नहीं	-
	7. 15 कि.मी परिधि के नक्शों में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन (केवल खनन प्रकरणों में)	लागू नहीं	-
23.	विस्थापितों का पुर्नवास	लागू नहीं	-
	1. प्रभावित परिवारों की संख्या	लागू नहीं	-
	2. परिवारों की श्रेणी (Category)	लागू नहीं	-
	3. पुर्नवास योजना का विवरण	लागू नहीं	-
	कास्ट बेनिफिट रेशियो	-	-
24	1. कुल लाभ	502592.00 लाख	964
	2. कुल लागत/वनो को क्षति	3899.00 लाख	965
	3. अनुपात	1:129	-
25	परियोजना की कुल लागत	253.83 करोड़	-
	रोजगार क्षमता	-	-
	1. निर्माण अवस्था/अस्थायी (कुल श्रम दिवस)	12775	-
	अ. प्रत्यक्ष (कुशल, अर्द्धकुशल एवं अकुशल) (श्रम दिवस)	1095	-
	ब. अप्रत्यक्ष (कुशल, अर्द्धकुशल एवं अकुशल) (श्रम दिवस)	-	-
26	2. निर्माण पश्चात/स्थायी कुल श्रम दिवस)	20	-
	अ. प्रत्यक्ष (कुशल, अर्द्धकुशल एवं अकुशल) (श्रम दिवस)	10	-
	ब. अप्रत्यक्ष (कुशल, अर्द्धकुशल एवं अकुशल) (श्रम दिवस)	-	-
27	जिले की रूपरेखा (Profile) 1. जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 2. कुल वन क्षेत्र/वन मंडलों के अधीन वन क्षेत्र 3. 1980 से कुल व्यपवर्तित क्षेत्र एवं प्रकरणों की संख्या 4. 1980 से निर्धारित वैकल्पिक वृक्षारोपण अ. वन भूमि ब. वन भूमि पर दाण्डिक वैकल्पिक वृक्षारोपण स. गैर वन भूमि	कोरबा 282000 हे., रायगढ़ 683600 हे. कोरबा 213647 हे., रायगढ़ 1111.83 हे. धरमजयगढ़ 171341.9 हे. कुल व्यपवर्तित क्षेत्र 4998.893, प्रकरण संख्या 80 3558.13 हे. 50.000 हे.	1342 - 1364

	5. आज की स्थिति में वैकल्पिक वृक्षारोपण की प्रगति अ वन भूमि ब वन भूमि पर दाण्डिक वैकल्पिक वृक्षारोपण स गैर वन भूमि	3462.828 हे. 106.302 हे.	
--	--	--	--

(यह चेक लिस्ट भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर के पत्र दिनांक 27.07.2016 के आधार पर है)


मुख्य वनसंरक्षक
बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर

क.८